

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 715/2025

1. Vaishali Sharma D/o Shri Omprakash Sharma, Aged About 31 Years, R/o J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
2. Lavkush Meena S/o Shri Bachchu Lal Meena, Aged About 32 Years, R/o A-68, Bhairu Karol Ka Bagh, Shiksha Vihar, Jagatpura, Jaipur (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. The Director General Of Police, Rajasthan.
3. The Commissioner Of Police, Police Commissionerate, Govt. Hostel, M.i. Road, Jaipur.
4. The Superintendent Of Police, Dausa.
5. The Sho, Police Station Ramnagariya, Jagatpura, Jaipur.
6. Krishna Kumar Sharma S/o Omprakash Sharma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
7. Himanshu Sharma S/o Omprakash Sharma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
8. Neha Sharma D/o Omprakash Sahrma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
9. Garima Sharma D/o Omprakash Sharma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
10. Vinaya Sharma W/o Krishna Kumar Sharma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
11. Omprakash Sharma S/o Chaturbhuj Sharma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).
12. Madhu Sharma W/o Omprakash Sharma, Residing At J-53, Janta Colony, Behind P.g. College, chak Dausa, District Dausa (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Suresh Kumar
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**Order****30/05/2025**

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप क्रम-2 के संबंध में सुना गया।

उक्त आक्षेप के संबंध में याचिका के फुटनोट में अनुच्छेद क्रम-6 में अंकन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आक्षेप क्रम-2 दूर किया जाता है।

आक्षेप क्रम-1 के संबंध में सुना गया।

पत्रावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-4 पुलिस आयुक्त जयपुर व थानाधिकारी पुलिस थाना रामनगरिया, जगतपुरा जयपुर को प्रेषित प्रतिवेदन है, जो दिनांक 26.05.2025 को प्रेषित किये गये हैं, जिसकी पोस्टल रसीद की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उक्त आक्षेप दूर किया जाता है।

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से अयाची संख्या 6 लगायत 12 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण अयाची संख्या-1 लगायत 5 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार वयस्क हैं तथा याची संख्या-1 वैशाली की जन्म तिथि 09.09.1993 एवं याची संख्या-2 लवकुश मीणा की जन्म तिथि 01.04.1993 है, जो कि उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की प्रति से स्पष्टतः प्रकट हो रही है। इस प्रकार से वे दोनों वयस्क हैं और उन्होंने दिनांक 19.05.2025 को आर्य समाज में विवाह कर लिया है, जिसका आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र परिशिष्ट-3 है। उनका तर्क है कि याचीगण विवाह के बाद शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं तथा अयाची संख्या 6 से 12 जो याची संख्या-1 के परिवारजन हैं, उनके इस विवाह से खुश नहीं हैं और धमकियां दे

रहे हैं। उक्त अयाचीगण से याचीगण को जाने एवं स्वतंत्रता का खतरा है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व अयाची संख्या—3 व 5 को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्र पंजीकृत डाक से भिजवा दिया है, जो परिशिष्ट—4 है। अतः याचीगण को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य—बनाम—यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह—बनाम—उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू—बनाम—कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा— बनाम—वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान—बनाम—असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के संबंध में कोई टिप्पणी व निष्कर्ष दिये बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या—1 लगायत 5 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याचीगण की ओर से अयाची संख्या—3 व 5 को प्रेषित पत्र परिशिष्ट—4 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के संबंध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरुद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J